न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

हंसाराम पुत्र भगाराम, जाति- भील, निवासी- डाक, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, डाक, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. लेहरी बाई पत्नी दानाराम जी, जाति- भील, निवासी-डाक, तहसील- रेवदर, जिला-सिरोही (मृतक) के कायम मुकामः-

2/1. सीता देवी पुत्री दानाराम पत्नी पकाराम, जाति-भील, निवासी- थल, तह. रेवदर
2/2. केवु देवी पुत्री दानाराम पत्नी मफाराम, जाति- भील, निवासी- भटाना, तह. रेवदर
2/3. टिपु देवी पुत्री दानाराम पत्नी मंगलाराम, जाति- भील, निवासी-भटणा, तह. रेवदर
2/4. पुनी देवी पुत्र दानाराम पत्नी लक्ष्मण, जाति-भील, निवासी- मीरपुर, तहसील-सिरोही
2/5. मंगलाराम पुत्र दानाराम, जाति- भील, निवासी-डाक, तह. रेवदर, जिला- सिरोही
2/6. गोपीया पुत्र दानाराम, जाति-भील, निवासी-डाक, तह. रेवदर, जिला- सिरोही
2/7. देवीया पुत्र दानाराम, जाति-भील, निवासी-डाक, तह. रेवदर, जिला- सिरोही
2/8. चुन्नीलाल पुत्र दानाराम, जाति-भील, निवासी-डाक, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 08/2015

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री गोविन्द राणा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत, अप्रार्थी संख्या 2/5 से 2/8 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 11 अक्टूम्बर, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, डाक द्वारा श्रीमती लहरी बाई पत्नी दानाराम जी, जाति- भील, निवासी- डाक के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 612 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 15.12.2010 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से ग्राम पंचायत, डाक के पत्र क्रमांक:ग्रापंडा/2015/118 दिनांक 07.7.2015 से जवाब प्रस्तुत हुआ। ग्राम पंचायत, डाक द्वारा प्रस्तुत जवाब पर अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, डाक व ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, डाक के हस्ताक्षर किये हुये है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने पर निगरानी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश प्र[illegible] की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 (लहरी बाई) की मृत्यु हो [illegible] पर [illegible]रण में प्रार्थी के अधिवक्ता ने आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी [illegible] 151 [illegible] के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

......[illegible]र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कर अप्रार्थी संख्या-2 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 के कायम मुकाम को इस न्यायालय द्वारा सम्मन बनाम कायम मुकाम जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या-2 के कायम मुकाम चुन्नीलाल, गोपिया, मंगलाराम व देवीया की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश प्रजापत उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के कायम मुकाम कायम मुकाम सीता, केवु, टीपू व पुनी को सम्मन बनाम कायम मुकाम की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुई। प्रकरण में बाद सुनवाई पक्षकारान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-2 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने व पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। तद्नुसार प्रार्थी के अधिवक्ताा ने संशोधित अनवान प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2/5 से 2/8 के अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राणा ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, डाक ने अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत प्रार्थी हंसाराम के आवासीय मकान का पट्टा जारी करने में अनियमितता बरती गई है। ग्राम पंचायत, डाक द्वारा अप्रार्थी लहरी बाई पत्नी दानाराम, जाति- भील, निवासी- डाक के पक्ष में जिस आवासीय मकान की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह आवासीय मकान प्रार्थी के पुराने कब्जे-स्वामित्व व आधिपत्य का है, जिसमें प्रार्थी हंसाराम अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। प्रार्थी हंसाराम ने उक्त आवासीय मकान में विद्युत कनेक्शन ले रखा है। राशन कार्ड में भी प्रार्थी का पता इसी मकान का अंकित है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवासीय मकान के फोटोग्राफस व विद्युत बिल की प्रतियां प्रस्तुत किये गये है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी लहरी बाई उक्त आवासीय मकान का पट्टा प्रात करने की पात्रता नही रखती थी, क्योंकि अप्रार्थी संख्या-2 लेहरी बाई का उक्त आवासीय मकान पर कोई हक या स्वामित्व नही है, अपितु उक्त आवासीय मकान प्रार्थी हंसाराम के पुश्तैनी स्वामित्व व कब्जे का है तथा प्रार्थी परिवार सहित हसमें निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत, डाक ने अप्रार्थी लहरी बाई को पट्टा जारी करने से पूर्व मौके व मकान पर कब्जे-स्वामित्व की जांच नही की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवासीय मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवंटिती का उस मकान पर 50 वर्ष पुराना कब्जा होना आवश्यक है, लेकिन अप्रार्थी लहरी बाई की उम्र वर्ष 2010 में 40 वर्ष ही थी तो उसका 50 वर्ष पुराना कब्जा कैसे संभव हो सकता है। ग्राम पंचायत, डाक ने निगरानी आवेदन का मौके व रेकर्ड की जांच करके जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें उक्त आवासीय मकान को प्रार्थी हंसाराम के पुराने कब्जे व स्वामित्व का होना बताया है। अप्रार्थी लेहरी बाई अपने पति व पुत्रों के साथ प्रारम्भ से ग्राम डाक में अन्यत्र स्थित मकान में निवास करती रही है। यह कि [illegible] में दानाराम पुत्र पदमाजी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि [illegible] देवी के पति का नाम दानाराम पुत्र पदमाजी नही है। अप्रार्थीगण [illegible] उक्त दानाराम का शपथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:42 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

सिरोही (राज.)

पत्र भी अप्रार्थी दानाराम की मृत्यु होने के 4 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय को मुगालते में रखते हुए दानाराम पुत्र पदमाजी को रुपाजी का गोदीपुत्र दर्शाते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जबकि स्टाम्प पेपर दानाराम पुत्र पदमाजी के नाम से लिया हुआ है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर लहरी बाई के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 15.12.2010 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, डाक द्वारा लहरी बाई के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए बाद जांच नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे पर बना मकान अप्रार्थी लहरी देवी के पति दानाराम पुत्र पदमाजी गोदीपुत्र रुपाजी के पुराने कब्जे स्वामित्व का था, जिसका ग्राम पंचायत, डाक द्वारा लहरी देवी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। दानाराम पुत्र पदमाजी गोदीपुत्र रुपाजी, निवासी- डाक का शपथ पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो नोटिरी पब्लिक द्वारा उक्त दानाराम जी की मृत्यु से पूर्व दिनांक 15.5.2015 को तस्दीक किया हुआ है, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता को समय पर शपथ पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण इस न्यायालय में अप्रार्थीगण के जवाब के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि स्टाम्प पेपर पर दानाराम जी के पिता का नाम पदमाजी अंकित किया है तो वह गलती स्टाम्प वेण्डर की है। यह कि उक्त आवासीय मकान पर अप्रार्थी लहरी देवी के पति का कब्जा आधिपत्य रहा है एवं दानाराम जी व उनकी पत्नी लहरी के बाद इनके पुत्रो का उक्त मकान पर कब्जा आधिपत्य है तथा मौके पर परिवार सहित निवास कर रहे है। विवादित मकान से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पुश्तैनी पट्टे स्वामित्व व कब्जे आधिपत्य के मकान पर जबरन कब्जा करने की नियत से अप्रार्थीगण से आये दिन झगडा करते है व मकान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते है। प्रार्थी ने जो विद्युत बिल प्रस्तुत किये है वह प्रार्थी के अन्यत्र स्थित मकान के है व इन विद्युत बिलो से यह साबित नही होता है कि विद्युत बिल उसी आवासीय मकान के ही है। ग्राम पंचायत, डाक द्वारा प्रस्तुत जवाब में पट्टा जारी करने में मानवीय भूल होना बताया है, यदि मानवीय भूल हुई होती तो अप्रार्थी लहरी बाई व दानाराम के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया जाता, लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी लहरी बाई व उसके पति के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही नही की है, जिससे यह साबित होता है कि विवादित मकान से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है, बल्कि विवादित मकान दानाराम गोदीपुत्र रुपाजी के पुराने कब्जे आधिपत्य की सम्पति है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथनों जवाब में प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि शपथ पत्र की तस्दीक करते समय नोटेरी पब्लिक द्वारा स्टाम्प पेपर की जांच की जाती है, लेकिन इस प्रकरण में नोटेरी ने स्टाम्प पेपर की जांच किये बिना ही शपथ पत्र तस्दीक किया है। अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल ने इस प्रकरण में वकालतनामा प्रस्तुत किया और शपथ पत्र भी उन्ही के द्वारा तस्दीक किया गया है। अप्रा[illegible] अधिवक्ता ने स्वयं के मकान के फोटो प्रस्तुत नही किये व न ही स्वयं के मकान [illegible] विद्युत बिल आदि प्रस्तुत किये है।

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही (राज०)

यदि उक्त आवासीय मकान दानाराम जी या लहरी बाई का होता तो अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रकरण में मौका कमिश्नर की नियुक्ति करवाई जाती है। इस न्यायालय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत होने के बाद ग्राम पंचायत को प्रश्नगत पट्टे की जानकारी हुई तो ग्राम पंचायत ने जांच कर इस न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, डाक द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने आवासीय मकान का विनियमितिकरण करते हुए लहरी देवी भील पत्नी दानाराम जी, निवासी- डाक के पक्ष में क्षेत्रफल 612 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 4 दिनांक 15.12.2010 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृहों को विनियमितिकरण करने का प्रावधान है।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यत: कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, डाक द्वारा अप्रार्थी लहरी बाई पत्नी दानाराम, जाति- भील, निवासी- डाक के पक्ष में जिस आवासीय मकान की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह आवासीय मकान प्रार्थी हंसाराम के पुराने कब्जे-स्वामित्व व आधिपत्य का है, जिसमें प्रार्थी हंसाराम अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। प्रार्थी हंसाराम ने उक्त आवासीय मकान में विद्युत कनेक्शन ले रखा है।" प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में आवासीय मकान के फोटोग्राफस, बिद्युत बिल व राशन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जबकि अप्रार्थी पक्ष ने ऐसा कोई दस्तावेज विद्युत बिल व फोटोग्राफस आदि प्रस्तुत नही किये। प्रकरण में ग्राम पंचायत, डाक के पत्र क्रमांक:ग्रापंडा/2015/118 दिनांक 07.7.2015 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि लेहरी देवी का उक्त आवासीय मकान पैतृक नही है एवं नही अप्रार्थी संख्या-2 का कोई स्वामित्व या हक उक्त आवासीय मकान पर है। ग्राम पंचायत, डाक की ओर से प्रस्तुत उक्त जवाब में यह भी अंकित किया हुआ है कि उक्त आवासीय मकान 44 भूखण्ड हंसाराम पुत्र भगाराम भील का पुश्तैनी स्वामित्व व कब्जा है तथा उसमें परिवार सहित निवासरत है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विद्युत बिल एवं ग्राम पंचायत, डाक द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों के इस तथ्य की गहनतापूर्वक जांच होनी आवश्यक है कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित आवासीय मकान किस व्यक्ति के पुराने कब्जे स्वामित्व का है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, डाक द्वारा लहरी देवी पत्नी दानाराम जी, जाति- भील, निवासी- डाक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 15.12.2010 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, डाक को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विवादित आवासीय मकान के पुराने कब्जे व स्वामित्व की गहनतापूर्वक जांच करके पुन: विधि सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:51:42 IST
Reason: SelfAttested